तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह. बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 25/2019
22.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.10.18 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग जयपुर के पत्र कमांक प. 3(146)राज–7/2011 जयपुर दिनांक 05.07.2012 की पालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सी.रिट याचिका सं. 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश 29.05.2012 में श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर को वाटर बोडिज केचमेंट क्षेत्र में आवंटन निरस्त हेतु रेफरेंस तहसील लूणी क्षेत्र के कितने व्यक्तियों /संस्थाओं के भिजवाये गये, नियमानुसार प्रमाणित सूचि , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनिांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।